


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ

रीवा संभाग रीवा म0प्र0

R5301



R5473-II 116

- 1- कालिका तनय रामलाल माली उम्र 90 वर्ष
- 2- गपुवा तनय श्री कलुआ खटिक उम्र 70 वर्ष
- 3- जौहरिया तनय श्री कलुआ खटिक उम्र 65 वर्ष
- 4- नत्थू तनय भोला खटिक उम्र 40 वर्ष

सभी निवासी ग्राम पोस्ट पाथरकछार वृत्त बरौंधा तहसील
मझगवां जिला सतना म0प्र0.....निगराकारगण

बनाम

- 1- मंदिर रामराय जी सर्वराहकार माधवदास चेला मनोहर दास
निवासी पाथरकछार तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0
- 2- चुलबुलिया तनय कलुआ खटिक उम्र 75 वर्ष निवासी
पाथरकछार वृत्त बरौंधा तहसील मझगवां जिला सतना
म0प्र0.....गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
10-08-2016 प्रकरण क्रमांक
1अ70/15-16 न्याय0 तहसीलदार
तहसील मझगवां वृत्त बरौंधा
जिला सतना म0प्र0।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1)
म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रार्थी/निगराकारगण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर

विनयी है कि:-

जौहरी

कमशः...

कालिका तनय रामलाल माली



गपुवा तनय श्री कलुआ खटिक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक निग0/5473-II/16

जिला-सतना

कालिका वगैरः/ मंदिर रामराय जी सर्वराहकार

(1)	(2)
18.12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रामानन्द मिश्र अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त बरौंघा, तहसील मझगवां, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10.08.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>